संख्या 1393 / I-64330
20-5-10

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या 377/ 2010-11

फाइल संख्या I - 64330

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहाय भवन 12 दरीबा, मैनपुरी। को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 5680/1980-81 दिनांक 22.1.1981 को दिनांक 22-1.2010 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

280/ रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 20.5- 2010

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 फर्म्स निबन्धक–1.02.2009–(419)–2,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम :- अखिल भारतीय कायस्थ महा सभा ~~दिल्ली~~

2- संस्था का पता :- सहाय सदन 12 दरीबा मैनपुरी, शहर पो0 जिला मैनपुरी यू0पी0

3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- समस्त भारत वर्ष

4- संस्था का उद्देश्य :-

1- राष्ट्र को शक्ति शाली बनाने हेतु समाज का बौद्धिक एवम् आचार सम्बन्धी विकास करना ।

2- विश्व बन्धुत्व, राष्ट्रीय एकता, तथा राष्ट्रीय विकास हेतु समाज में भावना जागृत करना ।

3- समाज में प्रचलित कुप्रथाओं व अनावश्यक वाद को समाप्त करना

~~4- विवादों में फैली हुई लेनदेन (करारदाद) प्रथा को समाप्त करना~~

5- उपजाति विवाहों को प्रोत्साहन देना

6- ज्ञान प्रसार, शिक्षा प्रसार, सामाजिक व राष्ट्री, भावना की जागृति कर राष्ट्र व समाज के उत्थान हेतु आवश्यक रचनात्मक पग उठाना

7- समाज में एकता तथा बन्धुत्व की भावना का विकास करना

8- सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, आर्थिक अवस्था की समृद्धि हेतु नवीन मार्ग खोजना और उनको कार्यान्वित करना ।

9- गरीब छात्रों, असहाय व्यक्तियों, तथा विधवाओं की आर्थिक सहायता करना ।

10-विज्ञान, कला साहित्यक, प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों को स्थापित कर उनका प्रसार एवं सहायता करना

11-धर्मार्थ औषधालय एवम् विद्यालयों की स्थापना करन उनको चलाना

M.K. Saxena

अध्यक्ष /मन्त्री

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

S.P. Sxy

5- अखिल भारतीय कायस्थ महा सभा की (प्रवन्ध समिति) के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय, पद, जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

-x-

क्रम सं0 1	नाम 2	पता 3	पद 4	व्यवसाय 5
1-	श्री स्वामी हंसानन्द सरस्वती उर्फ वृजेश्वर सहाय	= सहाय सदन 12 दरीवा मैनपुरी, यू0पी0	अध्यक्ष	= ब्यौपार
2-	श्री एम0पी0 श्री वास्तव	= भू0पू0 मन्त्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल	कार्यकारी अध्यक्ष	= ब्यौपार
3-	श्री डा0 प्रताप नरायण कुलश्रेष्ठ	= प्रताप भवन टून्डला आगरा	उपाध्यक्ष	= डाक्टर
4-	श्री आर0एस0 श्री वास्तव	= 486 महात्मा गान्धी मार्ग इन्दौर म0प्र0	महामन्त्री	= ब्यौपार
5-	श्री जे0के0 कुलश्रेष्ठ	= आई0टी0आई0 सनलाईट कालोनी महारानी बाग दिल्ली	मन्त्री	= नौकरी
6-	एम0पी0 खरे	= 252 कटरा मैनपुरी यू0पी0	कार्यवाहक मन्त्री	= नौकरी
7-	श्री रवीन्द्र विहारी रायजादा	= पहाड़गंज दिल्ली	कोषाध्यक्ष	= अवकाश प्राप्त
8-	श्री अशोक कुमार सक्सैना	= शान्त सेवा आश्रम वड़े डाकखाने के पीछे फील्ड- इटावा	उप मन्त्री	= नौकरी
9-	डा0 योगेन्द्र सिंह	= प्रचार्य श्री चित्रगुप्त महाविधालय मैनपुरी यू0पी0	सदस्य	= नौकरी
10-	श्री एम0जी0 श्री वास्तव	= प्रोफेसर डी0एस0वी0 कालेज, देहरादून	सदस्य	= नौकरी
11-	श्री डी0एस0 परमेश्वर	= प्रोफेसर डी0एस0 एन0 कालेज उन्नाव	सदस्य	= नौकरी
12-	श्री मिथिलेश कुमार	= 80 ~~[illegible]~~ लखनऊ	सदस्य	= नौकरी
13-	श्री राजेन्द्र कुमार	= सरवेअर इन्जीनियर गोवा	सदस्य	= नौकरी
14-	श्री महेन्द्र कुमार सक्सैना	= एडवोकेट पटियाली गेट एटा	सदस्य	= नौकरी
15-	घन श्याम दास	= एडवोकेट छिवरामऊ फरूखाबाद	सदस्य	= नौकरी
16-	स्वामी प्रसाद सक्सैना	= प्रोफेसर वरेली कालेज वरेली	सदस्य	= प्रोफेसर
17-	श्री अशोक कुमार प्रधान	= 35 ललितपुर कालोनी लश्कर	सदस्य	= नौकरी
18-	श्री विमल कान्त प्रधान	= दरीवा मैनपुरी	सदस्य	= ब्यौपार

सत्य प्रतिलिपि

19-	यू0के0 रायजादा	= वजीरिया फर्रुखाबाद	=सदस्य	= नौकरी
20-	उमेश बाबू सक्सेना	297 शिवाजी नगर = आगरा	=सदस्य	= नौकरी
21-	श्री आर0के0 सक्सेना	= मेनरोड सौथी म0प्र0	=सदस्य	= नौकरी डाक्टर

हम निम्न हस्ताक्षर करता संस्था को उपर्युक्त स्मृति पत्र के अनुसार सासायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21 सन 1860 के अन्तरगत रजिस्टर कराना चाहते है ।

दिनांक :- 20-1-81

अध्यक्ष/मन्त्री

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

हस्ताक्षर,

अध्यक्ष/मन्त्री

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

सत्य प्रतिलिपि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62AA 708753

यह जनरल स्टाम्प पेपर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सहाय सदन 12 दरीबा मैनपुरी, शहर पो० जिला मैनपुरी, जिला मैनपुरी फाइल नं० I-64330 स्मृति पत्र के साथ सलग्न है।

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटीज
आगरा क्षेत्र, आगरा 21/8/18

नियमावली

१- संस्था का नाम - अखिल भारतीय कायस्थ महा सभा ~~दिल्ली~~ मैनपुरी।

२- संस्था का पता- सहाय सदन १२ दरीबा मैनपुरी, पो०,शहर व जिला मैनपुरी उ०प्र०

३- संस्था का कार्य क्षेत्र- समस्त भारत वर्ष

४- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग (आजीवन, विशिष्ट, सामान्य,सहायक संरक्षक, सम्बद्ध सभा सदस्य आदि।

अ- आजीवन सदस्य- समाज का व्यक्ति जो बालिग है वह आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर ११) शुल्क जमा करे वह महा सभा का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

आ- विशिष्ट(क्रिया शील)-सदस्य - बालिग समाज का व्यक्ति आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर १११) शुल्क जमा करें या कोई भी आजीवन सदस्य अन्य १० आजीवन सदस्य बनाकर फार्म व रुपया जमा करें, वह क्रिया शील सदस्य माना जायगा। सामान्य: सहायक सदस्य भी स्वयं आजीवन सदस्य बनकर व अन्य १० आजीवन सदस्य बनाकर जमा करें वह भी क्रिया शील सदस्य माना जायगा।

ई- सामान्य सदस्य- प्रत्येक समाज बन्धु सभा का सामान्य सदस्य होगा।

ई - सहायक सदस्य - जो महा सभा को ५) साल चन्दा देगा वह सहायक सदस्य माना जावेगा।

उ- संरक्षक सदस्य - - समाज व्यक्ति जिसकी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति महान सेवायें रही हैं वह संरक्षक सदस्य कहलायगा।

ऊ - सम्बद्ध सदस्य - महा सभा के उद्देश्यों और कार्य क्रमों के अनुसार कार्य करने वाली कोई भी समाज की सभा आवेदन पत्र की स्वीकृति पर और सम्बद्ध शुल्क ११) जमा करने पर सम्बद्ध हो सकेगी। उसको हर वर्ष अपना नवीनीकरण का निम्न प्रकार शुल्क जमा करना होगा।

(१) सदस्य संख्या २० तक है तो ५०)

(२) सदस्य संख्या २१ से ५० तक है १५)

(३) सदस्य संख्या ५१ से २०० तक है ३०)

(४) सदस्य संख्या २०१ से ऊपर है ५०)

ए- प्रादेशिक सम्बद्ध सभा :- महा सभा के उद्देश्यों और कार्य क्रमों के अनुसार कार्य करने वाली सभायें जो अ० भारतीय का० महा सभा से सम्बन्धित हैं उनकी २० प्रतिशत सभायें प्रादेशिक सभा से सम्बद्ध हो वह ~~सम्बद्ध~~ प्रादेशिक सभा अपने आवेदन पत्र के साथ ५१) प्रवेश शुल्क जमा करे व हर वर्ष अपना नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिसका प्रत्येक ~~सम्बद्ध~~ सभा का ५१) प्रति सभा के हिसाब से धन जमा करना होगा एवं प्रादेशिक सभा महा सभा की सदस्य होगी।

अध्यक्ष/मन्त्री
अ० भारतीय कायस्थ महासभा

अध्यक्ष/मन्त्री
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

५- सदस्यता का समाप्ति :- मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर, दण्डित हो जाने पर, शुल्क जमा न करने पर, ऐसे कार्य करता है जो विधान के विरुद्ध व समाज के प्रति हानि कारक है उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

६- संस्था के अंग - दो होंगे।

अ- साधारण सभा (जनरल बाडी)

ब - प्रबन्ध कारिणी समिति (वर्किंग कमेटी)

७- साधारण सभा - - -

अ - गठन - - प्रत्येक आजीवन सदस्य, प्रत्येक विशिष्ठ (क्रिया शील) सदस्य, सामान्य सदन, सहायक सदस्य, संरक्षक सदस्य, सम्बद्ध सभायें सदस्य, ~~व वैतनिक सभायें के समस्त साधारण (महा सभा)~~ के सदस्य होंगे।

ब - बैठकें :- सामान्य, विशेष,

१- सामान्य अधिवेशन - महा सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार होगी।

२- विशेष - महा सभा की विशेष बैठक जब कार्य कारिणी या अध्यक्ष व मन्त्री चाहे। या कार्य कारिणी के ११ सदस्य लिखित रूप से माँग करने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अवधि :- सामान्य अधिवेशन को बुलाने के लिये ३ सप्ताह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

द- गण पूर्ति - महा सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिये २१ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

य- विशेष वार्षिक अधिवेशन :- महा सभा का विशेष अधिवेशन दो साल बाद होगा। इसकी तिथि व स्थान कार्य कारिणी निश्चय करेगी।

१- विशेष अधिवेशन जहाँ पर होगा वहाँ की सभा एक स्वागत समिति बनायेगी और स्वागत समिति अ० भारतीय का० महा सभा के महा मन्त्री व अध्यक्ष की राय से अधिवेशन की सारी व्यवस्था करेगी।

२- आये हुये प्रतिनिधियों से निर्धारित प्रतिनिधि शुल्क लेगी।

३- स्वागत समिति अधिवेशन समाप्त होने पर सारा आय व्यय लेखा व शेष धन ३ मास के अन्दर महा सभा में जमा कर देगी।

अध्यक्ष/मन्त्री
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

अध्यक्ष/मन्त्री
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

१- साधारण सभा के कर्तव्य : -

१- कार्यकारिणी से आये हुये प्रस्तावों व सुझावों पर विचार कर निर्णय देना।

२- कार्य कारिणी से आये हुये विधान मे संशोधनों, परिवर्तनों पर अपना निर्णय देना ।

३- आय व्यय लेखा स्वीकृति करना ।

४- आगामी अनुमानित आय व्यय लेखा स्वीकृत करना ।

५- सब कमेटियों का निर्माण करना व भंग करना ।

६- महा मंत्री व कोषाध्यक्ष व वर्किंग प्रेसीडेन्ट की नियुक्त करना ।

७- चुनाव आयुक्त(चुनाव अधिकारी) व सहायक चुनाव आयुक्त नियुक्त करना ।

८- जाँच सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये समाज, राष्ट्र तथा जन उत्थान की सेवाओं के लिये उनके जीवन काल मे या मरणोपरान्त निम्नलिखित उपाधि से अलंकृत करना ।

अ- कायस्थ रत्न आ- कायस्थ कुल दीपक

ई- कायस्थ कुल भूषण ई- कायस्थ दानवीर

उ- कायस्थ सरदार ऊ- कायस्थ वीर

ऐ- कायस्थ विधा भूषण।

६- अन्य पदाधिकारी एवम् कार्य कारिणी के सदस्यों को अध्यक्ष की सम्मति से घोषित करना, अगर उस समय घोषणा सम्भव न हो तो एक माह के अन्दर अध्यक्ष घोषित कर देंगे ।

६- प्रबन्ध कारिणी (कार्य कारिणी) समिति का गठन -

अ - गठन = अध्यक्ष

२- वर्किंग प्रेसीडेन्ट (कार्य वाहक अध्यक्ष)

३- उपाध्यक्ष (प्रत्येक राज्य से अधिक से अधिक तीन होंगे)

४- महा मंत्री

५- मन्त्री (सचिव)

६- अध्यक्ष या व्यक्तिगत सचिव

७- कोषाध्यक्ष

८- संयुक्त मन्त्री (प्रत्येक राज्य से तीन से अधिक नहीं होंगे)

६- सदस्य (प्रत्येक राज्य से उसकी आबादी के हिसाब से लेकिन किसी राज्य से १५ से अधिक न होंगे ।

१०- सभी भूतपूर्व सभापति

११- कोई भी कायस्थ सभा जो कम से कम २ संस्थायें चलाती है उस सभा का अध्यक्ष या उनको मनोनीत व्यक्ति सदस्य होगा ।

१२- राष्ट्र व समाज की सेवा करने वाले महान व्यक्तियों मे से पाँच व्यक्ति मनोनीत सदस्य ।

संस्थापक/स्वामी अखिल भारतीय कायस्थ महा...

१३– कम से कम ७ सदस्य व पदाधिकारी महिलायें होंगी ।

१४– कम से कम सदस्य एवम् पदाधिकारी युवा सदस्यों में से होंगे ।

१५– विशेष आमन्त्रित महान भाव ।

नोट ① समिति के सदस्यों को सक्रिय सदस्य होना अथवा चुने जाने के ३ माह के अन्दर सक्रिय सदस्य बनाना आवश्यक है ।

② [illegible]

आ– अध्यक्ष का निर्वाचन –

१– अध्यक्ष के चुनाव के समस्त क्रिया शील सदस्य व सम्बद्धित प्रान्तीय सभायें, व सम्बन्धित अन्य सभाओं को अपना मत देने का अधिकार होगा, लेकिन सम्बन्धित अन्य सभाओं का नवीनीकरण होना अनिवार्य होगा ।

२– महा सभा अधिवेशन के [illegible] (क्योंकि अध्यक्ष का कार्य काल समाप्त हो रहा हो) साढ़े तीन माह पूर्व महा मंत्री वोटर लिस्ट, क्रिया शील सदस्य, सम्बन्धित सभाओं, प्रान्तीय सभाओं को प्रकाशित करेगा और उसकी कापी उस दिन चुनाव आयुक्त को दे देगा । निर्धारित मूल्य देकर कोई भी सदस्य लिस्ट प्राप्त कर सकता है ।

३– चुनाव आयुक्त वोटर लिस्ट प्राप्त होने पर क्रिया शील सदस्यों, सम्बन्धित सभाओं व प्रादेशिक सभाओं से अध्यक्ष पद के लिये नाम मांगेगा वह नाम एक माह के अन्दर आना सम्भव होगा ।

४– चुनाव आयुक्त आये हुये नामों को १५ दिन के अन्दर उनसे स्वीकृति प्राप्त करेगा।

५– चुनाव आयुक्त क्रिया शील सदस्यों, सम्बन्धित सभाओं, प्रादेशिक सभाओं, से अध्यक्ष पद के लिये आये हुये नामों पर मत पत्र भेज कर राय प्राप्त करेंगे । एक माह के अन्दर राय प्राप्त होना आवश्यक होगा और यदि एक ही नाम है तो वह अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे ।

६– मत पत्र प्राप्त होने पर उसकी गणना कर अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे और उसकी सूचना नव निर्वाचित अध्यक्ष व होने वाले अधिवेशन की स्वागत समिति को उसकी सूचना दे देंगे ।

७– होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता नव निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे और उसी समय कार्य भार संभालेंगे ।

८– जिस प्रान्त में अधिवेशन होगा वहां का अध्यक्ष निर्वाचित न होगा ।

ब – बैठकें – सामान्य व विशेष

सामान्य – कार्य कारिणी समिति की बैठक प्रत्येक दो माह के बाद अन्य अन्य स्थानों पर होगी । वर्ष में एक बैठक दिल्ली में होना आवश्यक है ।

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

विशेष – कार्य कारिणी समिति की विशेष बैठक जब अध्यक्ष या मंत्री या कार्य कारिणी के कम से कम ८ सदस्यों की लिखित मांग पर बैठक बुलाना आवश्यक होगा ।

ख- सूचना अवधि – कार्य कारिणी समिति की बैठक की सूचना तीन हफ्ते पूर्व निकालना आवश्यक होगा । लेकिन आवश्यक बैठक बुलाने के लिये एक हफ्ते का नोटिस ही काफी होगा ।

ग- गण पूर्ति – – कार्य कारिणी समिति की बैठक के लिये ७ व्यक्तियों की उपस्थिति का कोरम होना जरूरी होगा ।

घ- रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि – कार्य कारिणी समिति के कार्य काल के बीच कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो प्रबन्ध समिति शेष समय के लिये किसी सदस्य का निर्वाचन कर उसकी पूर्ति कर लेगी ।

५- <u>कार्य कारिणी समिति (प्रबन्ध समिति) के कर्तव्य व अधिकार</u>

१- सभा के समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखना ।

२- आजीवन सदस्य, क्रिया शील सदस्य, सम्बद्ध सभाओं के आवेदन पत्रों को स्वीकृत या निरस्त करना ।

३- आय व्यय लेखा स्वीकृत करना व ऑडीटर (लेखा परीक्षक) की रिपोर्ट पर विचार कर उसे कार्य रूप में परिणित करना ।

४- आगामी अनुमानित बजट स्वीकृत कर महा सभा को भेजना ।

५- आये हुये प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करना

६- आवश्यकीय सब कमेटियों का निर्माण करना ।

७- महा सभा की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिये नवीन योजना एवम् धन एकत्रित करना ।

८- वार्षिक अधिवेशन के लिये स्थान व तिथि स्वीकृत करना ।

९- महा सभा का कोई पदाधिकारी या सदस्य ऐसे कार्य करता है जो महा सभा के विधान के विरुद्ध व समाज को हानि पहुंचाने वाले है उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करना व बहाल करने का अधिकार होगा ।

१०- अधिवेशन को स्थगित करने का अधिकार होगा ।

११- बैन्क में खाता खोलना ।

७- <u>कार्य काल</u> – प्रबन्ध कारिणी समिति (वर्किंग कमेटी) का कार्य काल २ वर्ष का या उसके अगले चुनाव की अवधि तक का होगा ।

८- <u>प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य</u>

<u>अध्यक्ष के अधिकार</u>

अध्यक्ष संस्था के प्रधान होंगे वे सभा की बैठकों का सभापतित्व करेंगे । सभा की सम्पत्ति एवम् कार्यों का निरीक्षण नियंत्रण करेंगे, महा सभा तथा अखिल कार्य कारिणी

सदस्य/मन्त्री अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

के उद्देश्यों व निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु आदेश व निर्देश देंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे।

आ- महा सभा का चल और अचल सम्पत्ति का देख रेख में रखना।

इ- बैठक बुलाने व स्थगित करने का अधिकार होगा एवं विशेष मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा।

ई- विशेष कार्य के लिये सब कमेटियों का निर्माण करना।

उ- विधि सबन्ध कारिणी समिति गठित करना और समाज के विशेष व्यक्तियों को विशेष अतिथि के रूप में सबन्ध कारिणी समिति में नियुक्त करना।

ऊ- आये हुये प्रस्तावों को मीटिंग में रखने के लिये स्वीकृत व अस्वीकार करना।

ए- एक समय में २००) तक व्यय करने का अधिकार होगा।

कार्य वाहक अध्यक्ष (वर्किंग प्रेसीडेंट)

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे व अध्यक्ष व कार्य वाहक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

महा मन्त्री के अधिकार व कर्तव्य

अ- सभा की समस्त कार्यवाही को लेखा बद्ध करना।
आ- सभा की चल अचल सम्पत्ति का देख रेख करना।
इ- आय व्यय लेखा व आगामी अनुमानित बजट तैयार करना।
ई- मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा।
उ- आये हुये प्रस्तावों को अध्यक्ष की राय से मीटिंग में रखना।
ऊ- वेतन भोगी कर्मचारी को अध्यक्ष की राय से नियुक्त करना।
ए- महा सभा की आर्थिक व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न करना।
ऐ- एक समय में २००) तक व्यय करने का अधिकार होगा।
ओ- आय व्यय लेखा कार्य कारिणी के समक्ष ऑडिट कराने के बाद मीटिंग में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
औ- सब कमेटियों की कार्य वाही रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करना।
अं:- न्यायालय में चलने वाले समस्त कार्यों का देख रेख करना।
अः- अध्यक्ष की राय से आगामी अधिवेशन के लिये कार्य क्रम बनाना।

मन्त्री के अधिकार

महा मन्त्री की अनुपस्थिति में महा मन्त्री के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

१- कोषाध्यक्ष महा सभा के समस्त निधियों का संरक्षक होगा और महा सभा

अध्यक्ष/मन्त्री
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा
कार्यवाहक

मन्त्री
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

की समस्त निधियों के आय व्यय का लेखा के प्रति उत्तरदायी होगा और समस्त आय व्यय लेखा को लेखा बद्ध करेगा ।

२- महा मन्त्री की राय से आगामी बजट तैयार करेगा ।

३- महा मंत्री या अध्यक्ष का स्वीकृति बिलों का भुगतान करेगा ।

प्रान्तीय सम्बद्ध सभा के अधिकार

१- प्रबन्ध समिति (कार्य कारिणी समिति) के उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव व अन्य उस प्रान्त के कार्य कारिणी के सदस्य व विशेष उस प्रान्त के आमन्त्रित व्यक्ति उस प्रान्त की प्रान्तीय सभा कहलायेंगी । वरिष्ठ उपाध्यक्ष उस प्रान्तीय सभा का अध्यक्ष व वरिष्ठ संयुक्त सचिव उस प्रान्त का महा मन्त्री होगा । प्रांत की अध्यक्ष अन्य दो नामों को कष्ट कर सकते है तथा अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकता है ।

२- महा सभा प्रबन्ध समिति व उनके पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार प्रान्तीय सभा को अपने क्षेत्र में प्राप्त होंगे ।

१०- संस्था के नियमों व उपनियमों में संशोधन प्रक्रिया

अखिल भारतीय कायस्थ महा सभा का नियमावली में किसी भी समय कार्य-कारिणी की स्वीकृति के साथ महा सभा की बैठक में संशोधन, परिवर्तन किये जा सकेंगे ।

११- संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)

महा सभा का आय व्यय लेखा कोषाध्यक्ष महा मन्त्री की राय से तैयार किया जायेगा । महा सभा का धन राष्ट्रीयकृत बैंक में महा सभा के नाम से जमा रहेगा । जिसे निकालने का अधिकार कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ, अध्यक्ष कार्य वाहक अध्यक्ष , महा मन्त्री में से कोई एक पदाधिकारी के - सामूहिक हस्ताक्षरों से ही निकाला जा सकेगा। कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक है ।

१२- संस्था के आय व्यय लेखा परीक्षण (आडिट)

अ- प्रबन्ध समिति (कार्य कारिणी) समाज के योग्य व अनुभवी किन्ही भी - व्यक्तियों को लेखा परीक्षक (आडीटर) नियुक्ति करेगी ।

आ- महा सभा का आय व्यय लेखा, लेखा परीक्षक के माह के अन्दर परीक्षण (आडिट) करके अपनी रिपोर्ट प्रबन्ध समिति को देंगे और प्रबन्ध समिति उस पर पूर्ण रूपेण विचार कर उसका पालन करेगी ।

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

१३- संस्था द्वारा, अथवा उसके विरुद्ध वाद अथवा कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ।

अध्यक्ष या प्रबन्ध समिति की आज्ञा से समिति की ओर से न्यायालय में केस दायर करने, उसकी पैरवी करने का अधिकार महा मन्त्री व मन्त्री को होगा ।

१४- संस्था के अभिलेख

महा मन्त्री महा सभा के अभिलेख(क्रियात्मक सदस्यता रजिस्टर, सम्बन्धित सभाओं का रजिस्टर, प्रान्तीय सभाओं का रजिस्टर, आजीवन सदस्यों का रजिस्टर, सहायक सदस्यों का रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, नोटिस रजिस्टर कैश बुक, डिसपैच रजिस्टर, वाउचर फायल, रसीद बहियां आदि सुरक्षित रखे जावेंगे। - प्रबन्ध समिति की आज्ञा से ही अभिलेख १५ वर्षों के बाद ही नष्ट किये जा सकेंगे ।

१५- संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजिस्ट्रेशन की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनांक - 20-1-81

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर -

अशोक कुमार

विमल कान्त

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा